

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक: भ-126/सीएफओ/जीबीएन-13 | 1256

दिनांक: 27-8-2014

सेवा मे,

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स रीगल एम्पोरिया इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0 सी0-2, सेक्टर-4, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 मे प्रस्तावित (माल मल्टीप्लैक्स/ होटल/कार्यालय) एसेम्बली (मिक्सड आक्यूपेन्सी) भवन के निर्माण हेतु उ0प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के पत्र संख्या: 1821/छ:-पु0-8-65 (रिट)/08 दिनांक: 25-07-2008 ए अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रश्नगत भवन के मानचित्रों का परीक्षण उ0प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के पत्र संख्या: 1821/छ:-पु0-8-65 (रिट)/08 दिनांक: 25-07-2008 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, फाय सर्विस उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: एफएस-1076/2012 दिनांक: 05-10-2012 के अनुपालन मे निम्नांकित कमेटी सदस्यों द्वारा किज जिनका विवरण निम्नवत है:-

- 1-श्री पी0के0राव:- संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।
- 1-श्री अमन शर्मा:- उपनिदेशक, फायर सर्विस, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
- 2-संयोजक, श्री मुनेन्द्र कुमार त्यागी:- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 3-सदस्य, श्री मतलूब हुसैन:- अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा।
- 4-सदस्य, वास्तुविद:- ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के नामित सदस्य।

समिति सदस्यों द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का परीक्षण उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्ष नियमावली-2005 मे विहित न्यूनतम सुसंगत मानको के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन का स्वरूप:-

1-प्लाट एरिया-20,335.00 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम तल	रिटेल	टावर ए0 आफिस	टावर बी होटल/ सर्विस अपार्टमेन्ट
1	भूतल	7,393.743		
2	1	7,208.346		
3	2	6,919.074		
4	3	6,129.754		
5	4	4756.267		
6	5		1,172.339	804.085 होटल
7	6		1,172.339	804.085 होटल
8	7		1,172.339	804.085 होटल
9	8		1,172.339	804.085 होटल
10	9		1,172.339	801.578 होटल
11	10		1,172.339	801.578 होटल
12	11		1,172.339	804.085 होटल
13	12		1,172.339	804.085 सर्विस अपार्टमेन्ट
14	13		1,148.697	804.085 सर्विस अपार्टमेन्ट
15	14		1,148.486	804.085 सर्विस अपार्टमेन्ट

CFO

GBN

16	15		1,172.339	801.578 सर्विस अपार्टमेन्ट
17	16		1,172.339	801.578 सर्विस अपार्टमेन्ट
18	17		1,172.339	804.085 सर्विस अपार्टमेन्ट
19	18		1,172.339	773.891 सर्विस अपार्टमेन्ट
20	19		1,194.390	773.891 सर्विस अपार्टमेन्ट
21	20		1,194.111	
22	21		1,194.390	
23	22		1,194.111	
24	23		1,218,032	
25	24		1,218.032	
26	25		1,218.032	
27	26		1,163.868	
28	27		1,163.559	
29	28		979.366	
30	29		979.428	
31	30		979.428	
32	बेसमेन्ट-प्रथम		5,908.002/9,816.651	
33	बेसमेन्ट-द्वितीय		16,579.435	
34	ऊँचाई	26.100	122.700	83.100

ढाचांगत सुरक्षा व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे 130 मी० रोड की चौडाई अंकित की गई है।

2- प्रवेश द्वार:- प्रवेश द्वार की चौडाई-09.00 मी० जो मानक के अनुसार है।

3- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-15.00 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-09.10 मी०।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी०।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी० से अधिक प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार सैटबेक भवन विनियमावली के अनुसार है जिनको सदैव फायर सर्विस वाहनों के सुगम आवागमन हेतु अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा एवं सैटबेक मे किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

4- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन मे 09 स्टेयर चौडाई 2.00 मी के प्रस्तावित है तथा बेसमेन्ट मे जीनों के अतिरिक्त रैम प्रस्तावित है। निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। बेसमेन्ट में निकास हेतु स्टेयर एवं लिफ्ट लाबी को 02 घण्टें फायर रेटिंग का निर्मित किया जाना आवश्यक होगा।

5- रिफ्यूज एरिया:- प्रस्तावित भवन मे 08, 13,19,21 एवं 26 वे तल पर रिफ्यूज एरिया मानको के अनुसार प्रस्तावित है।


अधिभोग:-

भवन का अधिभोग- मल्टीप्लैक्स, रिटेल शॉपिंग, होटल एवं कार्यालय भवन हेतु प्रस्तावित है जो एन०बी०सी० की एसेम्बली श्रेण डी०-6 मिक्सड आक्यूपेन्सी के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्थाएँ:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ वॉच्छनीय है:-

1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2850 एल०पी०एम० क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालि पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प जो मल्टीस्टेज/ मल्टीलेविल व हैड भवन की ऊँचाई के अनुसार एन०बी०सी० मानको के अनुस स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।


GBN

- 3-टेरिस टैंक: प्रश्नगत प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 20,000 बीस हजार ली०, स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 4-होजरील मय डाउनकामर:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन०बी०सी० एवं सम्बन्धित आई०एस० मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 5-वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराईजर मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम की रिंग लाईन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 7-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 8-आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-समस्त प्रश्नगत भवन में ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।
- 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन०बी०सी० एवं नवीनतम एन०एफ०पी०ए० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 12-प्रेशराईजेशन सिस्टम:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन समस्त निकास मार्गों का प्रेशराईजेशन एन०बी०सी० एवं नवीनतम एन०एफ०पी०ए० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 13-अग्निशमन का प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।
- 14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत सम्पूर्ण कम्पार्टमेन्टेशन एन०बी०सी० एवं नवीनतम एन०एफ०पी०ए० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 15-हैलीपेड:- प्रश्नगत भवन के टावर ए० एवं बी० की टेरिस पर हैलीपेड मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 16-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 17-पी०ए० सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

अतः मैसर्स रीगल एम्पोरिया इन्फ्राटेक प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न० सी०-2, सेक्टर-4, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उ०प्र० में प्रस्तावित (शापिंग एवं मल्टीप्लैक्स/ होटल/ कार्यालय) एसेम्बली भवन के निर्माण हेतु कम्पाउंडिड प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कमेटी संस्तुति इस शर्त के साथ करती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(मुनेन्द्र कुमार त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी/संयोजक
(मुनेन्द्र कुमार त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

- प्रतिलिपि: 1- उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।
2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- मैसर्स रीगल एम्पोरिया इन्फ्राटेक प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न० सी०-2, सेक्टर-4, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।

कमेटी रिपोर्ट


मैसर्स रीगल एम्पोरिया इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0 सी0-2, सेक्टर-4, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 में प्रस्तावित (माल मल्टीप्लैक्स/ होटल/कार्यालय) एसेम्बली (मिक्सड आक्यूपेन्सी) भवन के निर्माण हेतु उ0प्र0 शासन गृ (पुलिस) अनुभाग-8 के पत्र संख्या: 1821/छ:-पु0-8-65 (रिट)/08 दिनांक: 25-07-2008 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, फाय सर्विस उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: एफएस-1076/2012 दिनांक: 05-10-2012 के अनुपालन में मल्टीप्लैक्स एवं मेगा शॉपिंग कम्प्लेक्स इत्यादि जैसे बृहद एवं महत्त्वपूर्ण भवनों के नक्शों पर अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हे कमेटी:-


- 1-श्री पी0के0राव:- संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।
- 1-श्री अमन शर्मा:- उपनिदेशक, फायर सर्विस, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
- 2-संयोजक, श्री मुनेन्द्र कुमार त्यागी:- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 3-सदस्य, श्री मतलूब हुसैन:- अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा।
- 4-सदस्य, वास्तुविद:- ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के नामित सदस्य।


समिति सदस्यों द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का परीक्षण उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुर नियमावली-2005 में विहित न्यूनतम सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-
भवन का स्वरूप:-

1-प्लॉट एरिया-20,335.00 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम तल	रिटेल	टावर ए0 आफिस	टावर बी होटल/ सर्विस अपार्टमेन्ट
1	भूतल	7,393.743		
2	1	7,208.346		
3	2	6,919.074		
4	3	6,129.754		
5	4	4756.267		
6	5		1,172.339	804.085 होटल
7	6		1,172.339	804.085 होटल
8	7		1,172.339	804.085 होटल
9	8		1,172.339	804.085 होटल
10	9		1,172.339	801.578 होटल
11	10		1,172.339	801.578 होटल
12	11		1,172.339	804.085 होटल
13	12		1,172.339	804.085 सर्विस अपार्टमेन्ट
14	13		1,148.697	804.085 सर्विस अपार्टमेन्ट
15	14		1,148.486	804.085 सर्विस अपार्टमेन्ट
16	15		1,172.339	801.578 सर्विस अपार्टमेन्ट
17	16		1,172.339	801.578 सर्विस अपार्टमेन्ट
18	17		1,172.339	804.085 सर्विस अपार्टमेन्ट
19	18		1,172.339	773.891 सर्विस अपार्टमेन्ट
20	19		1,194.390	773.891 सर्विस अपार्टमेन्ट
21	20		1,194.111	
22	21		1,194.390	
23	22		1,194.111	
24	23		1,218.032	









25	24		1,218.032	
26	25		1,218.032	
27	26		1,163.868	
28	27		1,163.559	
29	28		979.366	
30	29		979.428	
31	30		979.428	
32	बेसमेन्ट-प्रथम		5,908.002/9,816.651	
33	बेसमेन्ट-द्वितीय		16,579.435	
34	ऊँचाई	26.100	122.700	83.100

ढाचांगत सुरक्षा व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे 130 मी0 रोड की चौडाई अंकित की गई है।

2- प्रवेश द्वार:- प्रवेश द्वार की चौडाई-09.00 मी0 जो मानक के अनुसार है।

3- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.10 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 से अधिक प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार सैटबेक भवन विनियमावली के अनुसार है जिनको सदैव फायर सर्विस वाहनों के सुगम आवागमन अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा एवं सैटबेक मे किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

4- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन मे 09 स्टेयर चौडाई 2.00 मी के प्रस्तावित है तथा बेसमेन्ट मे जीनों के अतिरिक्त प्रस्तावित है। निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। बेसमेन्ट निकास हेतु स्टेयर एवं लिफ्ट लाबी को 02 घण्टे फायर रेटिंग का निर्मित किया जाना आवश्यक होगा।

5- रिफ्यूज एरिया:- प्रस्तावित भवन मे 08, 13,19,21 एवं 26 वे तल पर रिफ्यूज एरिया मानको के अनुसार प्रस्तावित है। अधिभोग:-

भवन का अधिभोग- मल्टीप्लैक्स, रिटेल शापिंग, होटल एवं कार्यालय भवन हेतु प्रस्तावित है जो एन0बी0सी0 की एसेम्बली डी0-6 मिक्सड आक्यूपेन्सी के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्थाएँ:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ वॉच्छनीय है:-

1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक अनुसार वॉच्छनीय है।

2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चा पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प जो मल्टीस्टेज/ मल्टीलेवल व हैड भवन की ऊँचाई के अनुसार एन0बी0सी0 मानको के अन् स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3-टेरिस टैंक: प्रश्नगत प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 20,000 बीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4-होजरील मय डाउनकामर:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित आई0एस0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5-वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराईजर मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम की रिंग लाईन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मा के अनुसार वॉच्छनीय है।

7-आटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

8-आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-समस्त प्रश्नगत भवन में ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानकों के अनुरूप है।

11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 एवं नवीनतम एन0एफ0पी0ए0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

12-प्रेशराईजेशन सिस्टम:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन समस्त निकास मार्गों का प्रेशराईजेशन एन0बी0सी0 एवं नवीनतम एन0एफ0पी0ए0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

13-अग्निशमन का प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत सम्पूर्ण कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 एवं नवीनतम एन0एफ0पी0ए0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

15-हैलीपेड:- प्रश्नगत भवन के टावर ए0 एवं बी0 की टेरिस पर हैलीपेड मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

16-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

17-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।


अतः मैसर्स रीगल एम्पोरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0 सी0-2, सेक्टर-4, ग्रेटर नौएडा जनकपुर नगरपालिका 30300 में प्रस्तावित (शापिंग एवं मल्टीप्लैक्स/ होटल/ कार्यालय) एसेम्बली भवन के निर्माण हेतु कम्पाउंडिंग प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कमेटी संस्तुति इस शर्त के साथ करती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

सदस्य



(मतलूब हुसैन)

अग्निशमन अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा



(अमन शर्मा)

उपनिदेशक, फा0स0
मेरठ परिक्षेत्र।

सदस्य



(मनोज लाल)

वास्तुविद नियोजक
ग्रेटर नौएडा।

संयोजक



(मुनेन्द्र कुमार त्यागी)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।



(पी0के0राव)

संयुक्त निदेशक, फा0स0 मु0
लखनऊ।